संख्या-87/2020/391/पांच-6-2020-16(बजट)/18 टी0सी0

प्रेषक,

शत्रुन्जय कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,	**प्रबन्ध निदेशक,**
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,	**उ0प्र0 मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0,**
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	**गोमतीनगर, लखनऊ।**

चिकित्सा अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2020**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-32 के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष चिकित्सालयों में औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु अग्रिम आहरण की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 के पत्र संख्या-2023/वित्त/2019-20, दिनांक 03.03.2020 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-32 के अन्तर्गत मानक मद-39 में निर्गत सकल बजट आवंटन रू0 257.95 करोड़ के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 130.60 करोड़ में से चिकित्सालयों में औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु धनराशि रू0 5000.00 लाख (रूपया पचास करोड़ मात्र) को अग्रिम रूप से आहरित कर उ0प्र0 मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 में जमा कर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. **वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-17/2017/ए-1-1027/दस-2017-1055/17, दिनांक 15 नवम्बर, 2017 तथा उसके साथ संलग्न शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.1983, संख्या-ए-1-235/दस-15-1(1)/69, दिनांक 10.06.2011 एवं संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15-1(1)/69, दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**
2. **वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।**
3. **शासन द्वारा पूर्व में दी गयी समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक 31.03.2020 तक अवश्य कर लिया जाएगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आकंड़ों में भी समायोजन सुनिश्चित कराते हुए पत्रावली पर शासन/वित्त विभाग को अवगत करायेंगे।**
4. **किसी भी अन्य अग्रिम भुगतान के लिए शासन की सहमति प्राप्त की जानी होगी।**
5. **धनराशि के व्यय में सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उसका व्यय उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिस हेतु इसका प्राविधान किया गया है।**
6. **धनराशि संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जायेगा।**

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 की शर्तो/प्रतिबन्धों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-32 लेखा शीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय-04-एकीकृत एलौपैथी चिकित्सालय एवं औषधालय के मानक मद 39-औषधि एवं रसायन के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अ0शा0 पत्र संख्या-वित्त ई0-3-208/दस-2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
शत्रुन्जय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-87/2020/391(1)/पॉच-6-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, कलेक्ट्रेट/जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

5- निदेशक नियोजन एवं बजट, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

6- वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

7- चिकित्सा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

8- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

9- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।

आज्ञा से,
शशिकान्त शुक्ल
उप सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।